न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 19/2016

1– श्री रामपाल पुत्र स्व0 श्री लाडूसिंह जी उम्र 56 साल
2– श्री भगवानसिंह पुत्र स्व0 श्री लाडूसिंह उम्र 40 साल
3– श्री शैतानसिंह पुत्र स्व0 श्री लाडूसिंह उम्र 35 साल
4– श्री नारायणसिंह पुत्र स्व0 लाडूसिंह उम्र 60 साल
समस्त जाति रावत निवासीयान ग्राम कानपुरा बाडिया सुरेल का तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

————वादीगण

ब ना म

1– श्री केसरसिंह वयस्क पुत्र श्री अमरसिंह
2– श्री बादरसिंह वयस्क पुत्र श्री केसरसिंह
3– श्री सोहनसिंह वयस्क पुत्र श्री केसरसिंह
4– श्री गंगाराम वयस्क पुत्र श्री अमरसिंह
5– श्री सुरेन्द्रसिंह वयस्क पुत्र श्री पदमसिंह
6– श्रीमति झमकू वयस्क पत्नि श्री केसरसिंह
7– श्रीमति सम्पत्ति वयस्क पत्नि श्री पदमसिंह
समस्त जाति रावत निवासीयान ग्राम कानपुरा बाडिया सुरेल का तहसील विजयनगर जिला–अजमेर राज0
8– राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार विजयनगर
9– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील कार्यालय विजयनगर
10– राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 30.5.2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम कानपुरा पटवार क्षैत्र दौलतपुरा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामगढ तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर में खसरा नंबर 804 रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि स्थित है, उक्त भूमि वादीगण व अन्य खातेदारान के मध्य में हुये आपसी समझौते के अनुसरण में अकेले वादीगण के ही कब्जे में चली आ रही है, तथा वादीगण ही उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर नियमित रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त आराजी से किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार व अधिकार नही है वादीगण ने उपरोक्त आराजी में अपने पत्थर इत्यादि डलवा रखे है, तथा वादीगण की रोडी भी डाल रखी है तथा वादीगण ही नियमित रूप से उपरोक्त आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण सख्य 1 लगायत 7 का किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार या कब्जा अधिकार नही है ना ही उनका कोई नाम ही राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। उसके बावजूद भी उक्त आराजी की कीमतो में बढोतरी होने की वजह से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की नियत खराब हो चुकी है, तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ऐनकेन प्रकारेण गलत व गैर कानूनी रूप उपरोक्त आराजी को जबरन हडपने तथा वादीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू हो रखे है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 दिनांक 22.02.2016 को वादग्रस्त आराजी पर आये और वादीगण को जबरन बेदखल करने लगे तथा मौके पर तौडफोड करने लगे इस पर वादीगण के भारी विरोध के कारण वे इसमें सफल नही हो सके किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादीगण को धमकी दी, कि हम इस जमीन पर जल्द ही अवकाश का फायदा उठाकर कब्जा कर लेंगे और इसमें तौडफोड करके निर्माण करेंगे तथा अन्य को बेचान करके इस पर अन्य को काबिज भी करवायेंगे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। वाद प्रस्तुति के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 ने वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से तोडफोड करते हुये निर्माण करने लग गये इस पर वादीगण द्वारा मना किये जाने के बावजूद भी नही माने इस बाबत वादी सं0 1 ने पुलिस थाना मसूदा में दिनांक 01.03.2016 को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की किन्तु पुलिस ने कोई

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

.....लगातार

कार्यवाही नही की, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशो की घोर अवहेलना किये जाने वजह से वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अवमानना याचिका भी प्रस्तुत की है, जो कि विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 द्वारा मौके पर किये गये अवेध निर्माण को तुडवाया एंव हटवाया जाकर वादी को उसके हक हिस्से की आराजी पर पुनः काबिज करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण की उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं होने बाबत घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि वादीगण को विवादित भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे से बेदखल आदि नही करे तथा दावा दायरी के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा जो नाजायज मौके पर अतिक्रमण करते हुये कब्जा कर लिया है, उसे हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया बावजूद सम्मन तामीली के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण चूंकि एकतरफा में है, और वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को ही साक्ष्य के रूप में माना जावे तथा दावे के दौरान प्रतिवादीगण ने नाजायज तरीके से विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, उन्हें बेदखल किया जावे जिसके बाबत वादीगण ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, उन सभी तथ्यो को देखते हुये कब्जा वाद दिलाये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दावा दायरी के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा विवादित भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करते हुये कब्जा कर लिया है, उस कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर उसका कब्जा वादीगण को दिलाया जावे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य दावे के निर्णय में अंकित किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 59 अनुसार विवादित भूमि वादीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम खातेदारी मे दर्ज होना पाया गया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 किसी प्रकार से कोई सहखातेदार नहीं है एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना देना नहीं पाया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौके के छायाचित्र (फोटोग्राफ) प्रस्तुत किये हैं जिसमें पत्थर की दीवार होना पाया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद के विषय में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने कोई जवाबदावा भी प्रस्तुत नही किया और एकतरफा कार्यवाही करवा ली। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 स्वीकार किया जाकर मौजा गांव कानपुरा पटवार क्षैत्र दौलतपुरा द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रामगढ तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर में खसरा नंबर 804 रकबा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का नाजायज कब्जा चला आ रहा है, उससे उन्हें बेदखल किया जाने हेतु तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्त अवैध कब्जे को जरिये पुलिस इमदाद हटवाया जाकर उसका कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जाकर डिक्री की पालना की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 15:49:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: